

अनुमंडल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धनबाद।

एम.पी. केस नं० 4357/2015, धारा-144 दण्डाधिकारी

धनबाद जिला धनबाद पुनर् विभा

दिनांक 1	आदेश-पत्र 2	अभियुक्ति 3
21-3-15	<p>पुनर् प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित अनुसूचि में अंकित विवादी भूमि को लेकर उभय पक्ष अपना-अपना दावा दखल बतला रहे है, इस विवादी भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच गंभीर तनाव उत्पन्न हो गई है जिससे गंभीर शांतिभंग होने की संभावना पैदा हो गयी है। प्राप्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर तथा पक्षों बीच उत्पन्न विवाद को देखते हुए उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द.प्र.स की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ तथा उभय पक्ष उनके प्रतिनिधि या उनके अन्य सदस्यों को विवादी भूमि पर पर या उस भूखंड पर कोई भी कार्य करने से दोमाह के लिए प्रतिरोध करता हूँ तथा निदेश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 6.4.15 10.30 बजे प्रवाहन में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं जारी निषेधाज्ञा आपके विरुद्ध निरपेक्ष्य किया जाय।</p>	

अनुसूचित / विवादी भूमि विवरण

अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद

जिला धनबाद, धाना-बलियापुर, बामुनडीहा,
मौजानं०-21, खातानं०-47, प्लोटनं०-985
रकवा -33 डी०, चौहददी-उ०-प्लोट नं०-984
द०-रास्ता, पू०-रतन कर्मकार, प०-शरद इवानी।